

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 07 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Bhanwar Lal Tank Add. near govt. hospital, Vill-Doongri, Post-  
Hingonia, Teh-Jobner, Jaipur(Rural)

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी



प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19/02/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329007837588938 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3778245358 दिनांक 25.01.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/07/24/108-09 दिनांक 25.01.2024 से लिखा गया

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/07/2024/94-96 दिनांक 29.01.2024 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग को सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 15.12.2023 को आवेदन प्रेषित किया गया था, उक्त आवेदन पत्र पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित राजस्व अनुभाग में पत्राचार किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी  
उदयपुर

अतः अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना नियमानुसार निशुल्क 21 दिवस में उपलब्ध करा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि.  
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर